REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2019

''सार्क के सदस्य देशों में आपसी पड़ोसी संबंध''

अनिल कुमार यादव
शोध छात्र , राजनीति विज्ञान विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

प्रस्तावना :

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रीय संगठनों में शामिल है। इसके सदस्य देशों की कुल जनसंख्या ढेढ़ अरब से अधिक है। साझा विरासत, संस्कृतिक एवं इतिहास के बावजूद यह दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों शुमार हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय पूंजी की भरमार है लेकिन विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सांगठनिक बाधाओं के कारण इनका भरपूर फायदा अब तक नहीं उठाया जा सका। कोई भी नई शुरुआत करने में इसकी लगभग विफलता का प्रमुख कारण इसके सदस्यों के बीच आपसी विश्वास का अभाव हैं। यह अविश्वास, राजनैतिक दुश्मनी के इतिहास के गर्भ से पैदा हुआ है। समूचे क्षेत्र का औपनिवेशिक अतीत तथा उसके बाद उनके बीच पैदा हुए झगड़े भी इसकी जड़ में हैं। उसी से अविश्वास और असहयोग पैदा हुआ है। दक्षिण एशिया में ऊर्ध्व राष्ट्रीयता की राजनीति पर दरअसल संप्रभुता की राजनीति हावी है जिसके तहत लंबे अर्से तक औपनिवेशिक शासन से उबर कर राष्ट्रीय राज्यों को नई–नई संप्रभुता हासिल हुई है और इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याएं पैदा हुई हैं, जिनकी वजह से आपसी सहयोग की प्रक्रिया में बाधा पड़ रही है। दक्षिण एशिया में जिस प्रकार उपनिवेश समाप्त हुए उसके कारण राष्ट्र की संप्रभुता का महत्व और बढ़ गया। उसी वजह से अन्य देशों के संबंध में यह परिवर्तनीय नहीं है। राष्ट्र राज्य के गठन की प्रक्रिया अभी तक जारी है इसलिए ऊर्ध्व राष्ट्रीयता की अवधारणा अनुपयुक्त लगती है। लेकिन उन्हें अपने को राज्य तक सीमित रखने की प्रवृत्ति से उबरना पड़ेगा क्योंकि खगोलीकरण के युग में आर्थिक एकीकरण बुनियादी शर्त हो गई है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करना महत्वपूर्ण हो गया है। इस परिपेक्ष्य में यह तत्व भी महत्वपूर्ण हो गया है कि वह देश अधिकतर बाहरी समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे आतंकवाद, नशली दवाओं की तस्करी अथवा जलवायु परिवर्तन। इन समस्यओं से वह देश अकेले नहीं निपट सकते जिनकी सीमाएं किलेबंद नहीं हैं अथवा उनका सीमांकन समुचित नहीं है या फिर सीमाओं पर पड़ोसियों से मतभेद हैं। सहयोग की शुरुआत बेहतर आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक विकास, व्यापक सामाजिक प्रगति तथा समूचे क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की बुनियाद पर आरम्भ हुआ था। ऐसे संगठन का विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया–उर–रहमान ने पेश किया था जिसने अंततः 1985 में अस्तित्व ग्रहण किया। भारत को खासतौर पर ऐसे किसी संगठन की नीयत पर शक था और उसे लगता था कि एक क्षेत्र के छोटे–छोटे देश भारत के खिलाफ एकजुट होकर भारत की खिंचाई करने के लिए मंच बनाना चाहते हे। इसलिए इसके निर्माण काल में इसके सदस्यों के बीच आपसी सहयोग दरअसल मुख्यतः संगठन के लिए सामूहिक एजेंडा बनाने की दृष्टि से तकनीकी रुप में ही था। इसलिए सार्क के धोषणा पत्र में राजनीतिक मुद्दे शामिल नहीं किए गए थे। क्योंकि उससे अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ने में सदस्य देशों के आपसी पेचीदा राजनीतिक रिश्तों की वजह से रुकावट आ जाती। इसलिए क्षेत्र में विद्यमान कठिन मुद्दों पर चर्चा के बजाए ऐसे 'मुद्दे छांटे गए जो विवादास्पद नहीं थे।

सदस्य देशों के बीच सुचारु भागीदारी स्थापित होने के रास्ते में अनेक बाधाएं रही हैं। सदस्य देशों के बीच भागीदारी स्थापित न हो पाने का प्रमुख कारण आपसी अविश्वास और देशों के बीच अनेक अनसुलझे मुद्दे हैं। सार्क मूलतः अंतःसरकारी संगठन है जिसमें धारा ऊपर से नीचे की ओर आती हे। इसके अलावा सार्क अनेक खांचों में बंटा हुआ है और उसकी आंतरिक समस्याएं ही उसके सुचारु रुप से चलने में बाधक है। सार्क के घोषणा पत्र में यह समाहित है कि यदि उसका कोई एक सदस्य देश शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना करता है तो सम्मेलन नहीं हो सकता। ऐसा ढाका में तेरहवें शिखर सम्मेलन के दौरान हो भी चुका हैं, जिसमें भारत ने सुरक्षा संबंधी कारणों से शामिल होने में असमर्थता जताई थी। इसके तहत यह भी प्रावधान है कि संगठन के सभी निर्णय आम सहमति से होंगे ओर विवादास्पद दो तरफा मुद्दों पर इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। सहयोग के लिए गठित इस संगठन की स्थिति बुनियादी ढांचे की कमी, राजनैतिक अस्थिरता, अस्थिर सुरक्षा वातावरण और न्यूनतम विकसित देशों की सीमित निर्यात क्षमता विशेषकर प्राथमिक उत्पादों पर उनकी निर्भरता आदि कारणों से वैश्विक बाजार की स्थिति बहुत डांवाडोल है। इसके साथ ही नियमन संबंधी मुद्दों तथा सहयोग विमुख व्यापारिक वातावरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की दर भी कम है।, लेकिन समूचे क्षेत्र में संपर्क स्थापित होने के बाद छितरे हुए बाजारों के बजाए यहां अधिक प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होने लगेगा।

भारत का महत्व :

भारत को इस संगठन की स्थापना के आरम्भ से ही अधिपति के रुप में देखा जा रहा है। भारत से संबंधित अधिपति की भावना संगठन की अपनी असुरक्षा से पैदा हुई है। यह स्थिति आरम्भ से ही बनी हुई है। क्षेत्र के सबसे बड़े और आर्थिक रुप में सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण भारत का कद अन्य सदस्य देशों के मुकाबले बहुत ऊंचा है। इसकी वजह से समूह के छोटे देशों को घबराहट होती रहती है। क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण भी ऐसा होता है। समूह में भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी अफगानिस्तान के अलावा सभी सदस्य देशों के साथ धरती अथवा समुद्र के रास्ते सीमा लगी हुई है। इसलिए अंतःक्षेत्रीय व्यापार के लिए उन्हें भारत होकर ही आना–जाना पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक रुप में उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होने के कारण भारत के साथ छोटे–छोटे सदस्य देशों का व्यापारिक असंतुलन बना रहना स्वाभाविक है। सेवाओं के व्यापार में भी व्यापारिक असंतुलन गहरा है जिससे उनकी असुरक्षा और बढ़ती है। भारत को अपनी ओर से सीमा शुल्क घटाने की पहल करनी चाहिए और सभी बाधएं दूर करते हुए अपने पड़ोसियों से आयात बढ़ाना चाहिए।

भारत इसकी शुरुआत छोटे देशों के आर्थिक रुप में भारत से घिरे होने के डर को दूर से कर सकता हे। यह प्रयास अनौपचारिक राजनय के द्वारा होना चाहिए। इसके अंतर्गत ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि इन देशों को भारत की आर्थिक समृद्वि से फायदा हो जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे न कि उनकी आजीविका चौपट हो जाए। भारत की क्षेत्र में केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और विदेशी सामान की बढ़ती मांग के साथ बढ़ती आर्थिक वृद्धि की बदौलत यह क्षेत्र में चौतरफा वृद्धि और समृद्धि का उत्प्रेरक बन सकता है। ऐसा भारत द्वारा अपने विशाल बाजार में सार्क सदस्यों को व्यापार की अनुमति दिए जाने तथा उनके बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें भारत से होकर आने–जाने का अधिकार देकर किया जा सकता है। दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार 2005–06 में 7 अरब डॉलर से बढ़कर 2010–11 में 15 अरब डॉलर हो गया हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर व्यापार अनौपचारिक है।

सार्क में आर्थिक सहयोग :

सार्क में आर्थिक सहयोग की शुरुआत 1993 में हुई तब दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता यानि साप्टा पर ढाका में 7वें शिखर सम्मेलन में दस्तखत करके आर्थिक सहयोग पर पहला क्षेत्रीय समझौता हुआ था। यह समझौता 7 दिसम्बर 1955 से लागू हुआ। सार्क देशों ने अनेक चरणों में वरीयता के आधार पर तटकार दरों में कटौती करके अपनी–अपनी अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार के लिहाज से उदार बनाकर मुक्त व्यापार समझौते की बुनियाद रखी। यह पहल हालांकि सही दिशा में की गई थी, लेकिन विफल रही और क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। इसके अनेक कारण थेः (अ) लेनदेन उत्पाद दर उत्पाद हुआ (आ) तटकार की दरों में कटौती नाकाफी रही (इ) अधिकतर उत्पादों का व्यापार बहुत सीमित था (ई) अंतःक्षेत्रीय

व्यापार पर गैर–तटकर और अर्द्ध–तटकर बाधाओं का साया मंडराता रहा (उ) कुछ उत्पादों पर तुलनात्मक लाभ से उनका व्यापार नहीं बढ़ पाया और मूल संबंधी नियम निषेधात्मक थे। इसके बावजूद 2004 में प्राथमिकता आधारित समझौते की जगह सदस्यों ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते यानि साफ्टा को मंजूरी दे दी। साफ्टा 2006 से लागू भी हो गया, उसके बावजूद समझौते की बुनियादी खामियों के कारण अंतःक्षेत्रीय व्यापार अभी तक गति नहीं पकड़ सका। वस्तुओं की संवेदनशील सूची को बरकारार रखने के फैसले और सेवाओं के व्यापार को उसमें शामिल न करने तथा निवेश को भी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के कारण समझौता बहुत कमजोर है। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग के मुद्दों के बजाए राजनैतिक मुद्दों को प्राथमिकता देने के कारण भी अंतःक्षेत्रीय व्यापार बढ़ नहीं पा रहा। इसकी मौजूंद मिसाल भारत और पाकिस्तान दोनों के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान दोनों के विश्व व्यापार संगठन में पाकिस्तान द्वारा भारत को सबसे पसंदीदा देश यानि एम एफ एन दर्जा देने में हुई देरी है। हालाकि ऐसा करके पाकिस्तान विश्व व्यापार संगठन समझौते का सरेआम उल्लंघन करता रहा है।

भागीदारी बढ़ाने के उपाय :

गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना के लिए सदस्य देशों को संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करना होगा। सबसे पहले यह देखा गया है कि सदस्य देशों के बीच पुराने राजनीतिक संबंध सार्क की राह में आड़े आते रहे है। इन देशों के राजनीतिक सरोकार बहुधा आर्थिक प्राथमिकताओं पर हावी रहते हैं। खासकर भारत पाकिस्तान के संबंधों ने सार्क शिखर सम्मेलनों की तरक्की में अनेक पहलुओं से बहुत बाधा डाली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी इसी तरह ऐतिहासिक रुप में संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और क्षेत्रीय सहयोग संगठन में अफगानिस्तान के सदस्यता पाने से इसके सदस्यों के बीच संबंध और पेचीदा हो गए हैं। लेकिन अब यह जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वह अफगानिस्तान से संबंधित सुरक्षा की अपनी चिंता को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का प्रयास करें। उसके साथ अपने मतभेद दूर करे। साथ ही आतंकवाद और कट्टरपंथ का भी हल निकाले। अफगानिस्तान के दाखिले से उसे दक्षिण एशिया के देशों से जुड़ने और कच्चे तेल के लाभप्रद व्यापार का भी अपूर्व मौका मिला है। साथ ही साथ इससे दक्षिण एशिया के साथ भूतल परिवहन का रास्ता बनाने का अवसर भी मिला है, जिससे माल और सेवाओं की दोतरफा आवाजाही संभव हो पाएगी।

बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में सार्क के सांगठनिक ढांचे को आमूल–चूल बदलने की आवश्यकता है। इसके तहत उसके सचिवालय और महासचिव की भूमिका और उसके अधिकारों को भी पुनः परिभाषित करना होगा। सार्क के सचिवालय और महासचिव की भूमिका तभी हुए समझौते के तहत परिभाषित की गई थी। सचिवालय की भूमिका मोटे तौर पर गतिविधियों को लागू करने के लिए समन्वय और उनकी निगरानी की हे। बैठकों की तैयारी करना और उनका आयोजन, संगठन के भीतर और उसके सदस्य देशों तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों के बीच बातचीत के मुद्दे छांटना और उन्हें आपस में बातचीत को प्रोत्साहित करना भी है। लेकिन सार्क में अब तक सचिवालय स्वतंत्र रुप में कोई भी निर्णय नहीं कर पाता। उसके बजाए महत्वपूर्ण फैसले कर पाने का अधिकार सम्मेलनों में ही निहित है। इसकी वजह से यदि सम्मेलन टल जाता है। तो संगठन की समूची निर्णय प्रक्रिया भी अवरूद्ध हो जाती हैं। वित्तीय और मानव संसाधनों की दृष्टि से भी इसका दायरा बढ़ाने की जरुरत है। उनकी कमी के कारण संगठन की परियोजनाएं लटक जाती हैं और उन्हें लागू करने तथा उनकी निगरानी में बाधा पड़ती हैं।

इसके साथ ही सदस्य देशों की सीमापार करने संबंधी भी अनेक कठिनाई हैं। इन्हें भी सरल बनाना जरुरी है। ऐसी प्रमुख कठिनाई हैं–सीमाशुल्क की वसूली और अदायगी संबंधी बाधक प्रक्रिया, परिवहन संपर्क की कमी, निजी क्षेत्र का कमजोर आपसी संपर्क और वीजा जैसे प्रशासनिक मुद्दे। सार्क देशों की प्रतिबंधात्मक वीजा प्रणाली से रोजगार के इच्छुक अथवा सामान्य लोगों की सीमापार सुचारु आवाजाही बाधि होती है। भारत के पड़ोसी हालांकि यह चाहते हैं कि उनके लोगों को भारत में पहुंचने पर ही वीजा लेना पड़े, लेकिन सुरक्षा ओर लोगों की अवैध आवाजाही संबंधी भारत की चिंता इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दे रही। सार्क मुख्यतः विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित प्रक्रिया है जो कि अधिकतार औपचारिक, प्रक्रियात्मक एवं पेचीदा है। इसके बावजूद इसके तहत अनेक गैर–सरकारी लोग अनौपचारिक रुप में सदस्यों के बीच सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य

निर्णयकर्ताओं को प्रभावित करके क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और बाधाएं दूर करने वाली नीतियॉ लागू करना है। इन अनौपचारिक शुभचिंतकों द्वारा दिए गए अनेक नीतिगत सुझावों की बहुधा अनदेखी भी कर दी जाती है, क्योंकि प्रशासक सार्क के औपचारिक एजंडे से ही जूझते रह जाते हैं। इसलिए सरकारी यानी औपचारिक और गैर–सरकारी यानी अनौपचारिक बातचीत के जरियों को संस्थाबद्ध करना जरुरी है, क्योंकि यह संस्थागत ज्ञान के साझे स्रोत के रुप में काम आते है। यह सिर्फ नए विचारों की प्रयोगशाला बनकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नीतियों की निगरानी, उन्हें लागू करने और उनके मूल्यांकन का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उनके सुझावों को नीतिगत निर्णयों में शामिल करने के बारे में भी स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे आदान–प्रदान से नए विचार पैदा होंगे, जिनका लक्ष्य सदस्य देशों के अवाम के बीच विश्वास को बढ़ावा देना होगा, जिससे सहयोग और एकीकरण को महौल बनेगा।

संपर्क के साधन :

मजबूत क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के लिए एकीकृत सार्क की महती आवश्यकता है। संपर्क के साधनों के महत्व और अंतःक्षेत्रीय व्यापार से उसके संबंध और उसके जरिए होने वाली आर्थिक वृद्धि के अंतर–संबंध के प्रति सार्क बखूबी जागरुक है। इसका अनुमान मालदीव में अद्दु में हुए 17वें सार्क शिखर सम्मेलन से स्पष्ट है। इस सम्मेलन का एजेंडा था संपर्क स्थापना। इसका मकसद था सीमापार क्षेत्रीय संपर्क ढांचे को मजबूत बनाना। उससे पहले 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में 2010–2020 को सार्क में अतः क्षेत्रीय संपर्क ढांचा दशक घोषित किया गया। आपस में फायदेमंद क्षेत्रीय धरातल के निर्माण के लिए संपर्क ढांचा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और सामाजिक–आर्थिक लेनदेन की बढ़ाना आवश्यक है। आवश्यक संपर्क ढांचे में शामिल है हवाई, समुद्री और रेलवे संपर्क का संबंधी बुनियादी ढांचा। इसके साथ ही ऊर्जा, जल, पाइपलाइन, अन्य ग्रिड तथा दूरसंचार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दुर्भाग्य से ऐसे रास्ते और संपर्क ढांचा मजबूत नहीं है।

दक्षिण एशिया ऐसा क्षेत्र है, जहां भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था मौजूद है जिसकी वृद्धि दर विशेष कर सेवा क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसके पड़ोसी देशों को इस वृद्धि को काई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह है। व्यापारिक एकीकरण की कमी और ऐसा इन तमाम देशों को आर्थिक रुप में जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे व्यापार की लागत सबसे अधिक है जबकि अंतः क्षेत्रीय व्यापार की कमी के कारण हो रहा है। इसके अलावा दुनियॉ के अन्य देशों से तुलना करें तो सार्क क्षेत्र में सीमापार व्यापार का यही प्रमुख कारक है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सार्क सदस्य देश आपस में व्यापार करने के बजाए अन्य देशों से अधिक व्यापार क्यों करते है। इसलिए अतःक्षेत्रीय व्यापार की बद्तर स्थिति को सुधारने के लिए क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे की स्थिति को सुधारने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर राजनीति अस्थिरता, घरेल चुनौतियॉ, तनावग्रस्त दोतरफा संबंधों और आतंकवाद के कारण इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचें की कमियों को दुरुस्त नहीं किया जा पा रहा। यदि पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर ध्यान दें तो दक्षिण एशिया ऐसा क्षेत्र हैं जहॉ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क उपलब्ध हे।, इसलिए आपसी संपर्क बढ़ने की जबरदस्त संभावना है। इस क्षेत्र में कुल 77 हजार किमी लंबा रेलवे नेटवर्क उपलब्ध है,इसलिए आपसी संपर्क बढ़ने की जबरदस्त संभावना है। इस आपसी संपर्क बढ़ने की जबरदस्त संभावना है। इस क्षेत्र में कुल 77 हजार किमी. लंबा रेलवे नेटवर्क है।

सार्क के देशों के बीच व्यापार के सुचारु लेनदेन के लिए क्षेत्र में व्यापार की लागत घटाने के लिए विशिष्ट व्यापार क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जिन देशों की सीमा आपस में नही लगती उनमें विशेषकर प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक गलियारों को आपस में जोड़ना आवश्यक हैं इस संदर्भ में भारत की भौगोलिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफगानिस्तान के अलावा अन्य सभी देश इसके विभिन्न छोरों पर स्थिति हैं जिनसे भारत की सीमाएं धरती अथवा समुद्र के रास्ते जुड़ी हुई हैं। यह विशेष व्यापारिक क्षेत्र विविध सुविधाओं वाले होने चाहिए। इनमें रेलवे, सड़क हवाई और समुद्री यातायात के जरिए आने और भेजे जाने वाले माल के लिए कंटेनर अथवा कंटेनरहित भंडारण व्यवस्था होना चाहिए।

इसके साथ ही बुनियादी ढांचे सुविधाओं की कमी से रास्ते में देर लगती है जिसकी वजह से साफ्टा संबंधी प्रतिबद्धताओं से होने वाली लागत में फायदा बेकार चला जाता हैं और उसके बजाए माल की प्रति इकाई

लागत बढ़ जाती है। भारत और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार की दर कम होने का कारण बुनियादी ढांचे संबंधी संपर्क की कमी भी है और इसी वजह से उसके पड़ोसियों के साथ उसके व्यापार में अधिकतर लेनदेन अनौपचारिक माध्यमों से होता है।

क्षेत्र में संपर्क ढांचा बढ़ाने की शुरुआत दो तरफा आधार पर करके उसे धीरे–धीरे अन्य देशों में भी फैलाया जा सकता है। इसके बाद संपर्क ढांचे को सार्क के सदस्यों के पड़ोसी देशों से भी जोड़ा जा सकता हैं जिससे खाड़ी के देशों, दक्षिण–पूर्व और मध्य एशिया के देशों तक सीधी पहुंच बनाई जा सकती है। उससे सार्क एवं इन क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। मध्य एशिया में ऊर्जा के स्रोतों और खाड़ी के देशों से संपर्क दरसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जोड़कर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में गैस के स्रोतों का दोहन भी सार्क के सदस्य देश आसानी से कर सकते हैं। इससे भू–सीमाओं वाले देशों को विशेषकर ज्यादा फायदा होगा क्योंकि संपर्क ढांचा बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा जिससे अंततः उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। जल संसाधनों का सीमा के आर–पार प्रबंधन करने में भी वे आपस में सहयोग कर सकते है। उसके द्वारा वे पनबिजली और सिंचाई के साधन बना सकते हैं। इससे एक देश में जहां बिजली और नहर बनेंगी वहीं दूसरे देश में बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। जल संग्रह और प्रबंधन में अपने सहयोग से फायदे खास तौर पर भारत–बांग्लादेश, भारत–नेपाल और अफगानिस्तान–पाकिस्तान आपस में मिलजुल कर उठा सकते हैं।

ऊर्जा सहयोग :

दक्षिण एशिया में ऊर्जा की भारी कमी है और उसकी आपूर्ति के लिए यह मुख्यतः भारी आयात पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र की बढ़ती आबादी और आर्थिक वृद्ध दर तेज होने के कारण इसकी ऊर्जा की खपत में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई हैं। खासकर भारत की मांग तो ओर तेजी से बढ़ रही है लेकिन इसका घरेलू उत्पादन क्षेत्र की प्रति–व्यक्ति आय की निम्नदर के कारण बढ़ती मांग के अनुरुप नहीं बढ़ पा रहा है। उसके कारण ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकी में पूंजी निवेश वांछित स्तर पर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ कच्चे तेल के आयात पर ज्यादा निर्भरता उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डाल रही हैं।

इसलिए आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तथा ऊर्जा संबंधी खर्च में कटौती के लिए क्षेत्र के भीतर आपसी सहयोग बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में असरदार भागीदारी स्थापित करने की राह में अनेक बाधा हैं। इनमें से प्रमुख हैं बुनियादी ढांचे की कमी, भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव, ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सीमापार तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के हाथों तबाही का अंदेशा और क्षेत्र में अन्य देशों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।

सार्क के देशों में तेल की कमी है, फिर भी इनमें प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। प्रकृतिक गैस की ये मात्रा निम्नलिखित है– पाकिस्तान में 100 अरब घन मीटर, अफगानिस्तान 100, भारत 750 से अधिक और बांग्लादेश 434 से अधिक अरब घन मीटर हैं। संयुक्त राज्य भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 33.5 खरब घन मीटर के नए गैस भंडार पाए गए हैं। सार्क में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत भारत में है और बांग्लादेश के पास प्राकृतिक गैस के निर्यात लायक मात्रा मौजूद हैं। ऐसे में बांग्लादेश अपने आर्थिक विकास के लिए गैस का निर्यात कर सकता हैं। सार्क देशों में अक्षय ऊर्जा का भी भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं, उनके दोहन के लिए समुचित बुनियादी ढांचे के विकास में मदद की जा सकती हैं। भूटान का ही मामला ले तो भारत ने वहां पनबिजली परियोजना बनाने में पूरी मदद की है और उसके बदले बिजली के निर्यात भूटान से विदेशी मुद्रा की मोटी रकम कमा रहा है। इसी तरह नेपाल अफगानिस्तान, भूटान तथा भारत में भी पनबिजली परियोजनाएं लगाने की जबरदस्त गुंजाइश हैं।

क्षेत्र के भीतर सहयोग के अलावा उनका दायरा बढ़ाने और उसमें दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान को भी शामिल करने के अवसर उपलब्ध हैं। इन देशों में हाल में गैस के विशाल भंडार मिले हैं। दक्षिण एशिया में प्राकृतिक गैस को लाने–ले जाने के लिए इसके सदस्य देशों की सीमा के आर–पार पाइपलाइन बिछाकर आवश्यक ढांचा स्थापित किया जा सकता हैं, जिसे दक्षिण एशिया के पड़ोसी संसाधनों से जोड़ कर गैस की निर्बाध आपूर्ति हासिल की जा सकती है। इससे अन्य सदस्य देशों के भारत से व्यापार संतुलन की समस्या भी सुलझाई जा सकती है। गैस की आवाजाही के शुल्क से उन देशों को

अच्छी–खासी आमदनी होगी। इसके साथ ही सार्क के सभ्झी सदस्य देशों में बिजली की लागत तथा उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए पूरे दक्षिण एशिया के बिजली के ग्रिड आपस में जोड़े जाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक विकास की कुंजी ऊर्जा ही है और यही दक्षिण एशिया को आपस में जोड़ सकती है।

उपसंहार :

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या दरअसल अविश्वास है। इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा भी की है। इसी के कारण संगठन की तरक्की लगभग हर स्तर पर अवरुद्ध हें इसके सदस्यों में आपसी अविश्वास को सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए द्विपक्षीय समस्याओं को मिल कर हल करना होगा। भारत और पाकिस्तान को इस पर खास ध्यान देना होगा। भारत को अपनी ओर नेतृत्व की भूमिका अपनाते हुए आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना होगा ताकि सार्क के अन्य देश उसकी आर्थिक तरक्की के चौतरफा फायदों से लाभन्वित हो सकें। सार्क के सामने चुनौतियॉ जबरदस्त हैं, लेकिन इसे विफल नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके माध्यम से सदस्य देशों को क्षेत्रीय मंच उपलब्ध है जिस पर क्षेत्रीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सहयोग, आतंवाद से निपटने और व्यापार में प्राथमिकता देने आदि पर चर्चा की जा सकती है। यह हालांकि ऐसा संगठन है जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ज्यादा महत्व मिलता है। सार्क देशों की सरकार को अपनी पहल ऐसे उद्योगों पर केंद्रित करनी चाहिए, जिनसे क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिले और उनके राष्ट्रीय हित भी सध सकें। इससे सार्क देशों को विभिन्न विदेश नीति संबंधी मुद्दों तथा विश्व व्यापार संगठन जैस बहुपक्षीय संगठनों में एक सुर में बोलने में सुविधा रहे, जिससे ऐसे संगठनों में सार्क को आर्थिक दृष्टि से फायदा मिलेगा और अततः उनके सदस्य देश लाभान्वित होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chaudhary, Anasua Basu Ray (2006), SAARC at crossroads: Fate of Regional Co-operation in South Asia] New Delhi: Samskriti.
2. Kelegama, Saman (2008), Traditional SaaRC, modern South Asia, (Online Web) Accessed: 5 March 2012.
3. Pattanaik, Smruti S. (Sep 2010) "SAARC at Twenty-Five:An Incredible Idea Still in Its Infancy", Strategic Analysis Vol. 34, No.5, 671-677
4. Banerjee, Chandrajit (Nov 2011), Immense potential for intra-SAARC trade (Online Web)Accessed:5 March 2012.
5. Reddy, Y. Yagama (April 2011), "Critical Factors Inhibiting Success and Inducing Failure of SAARC" Journal of Indian Ocean Studies, vol, 19.
6. Bhasin, Madhavi (May2010) SAARC III-Challenges and Propects (Online Web) Accessed: 4 March 2012.
7. Chaudhary, Anasua Basu Ray (2006), SAARC at crossroads:Fate of Regional Co-operation in South Asia, New Delhi: Samskriti.

अनिल कुमार यादव
शोध छात्र , राजनीति विज्ञान विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।